न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 63/2024(GCMS 2024/223)

(आरटीआई संख्या 212025945583317)

संतोख सिंह पुत्र श्री सुखमन्दर सिंह निवासी मानुका ढाणी 25 एमएमके तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री संतोख सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उसने उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.09.2024 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री संतोख सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.09.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न **एक बिन्दु की सूचना चाही थी :**

> कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के प्रकरण संख्या 118/2016 अनवान रविन्द्र कुमार बनाम भूरो आदि पत्रावली की ऑर्डर शीट, नोट शीट, निर्णय, डिक्री आदि सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि दी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:49:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने **पत्रांक आरटीआई/28 दिनांक 15.01.2025 से अपील का जवाब** निम्नानुसार प्रेषित किया है:

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक अपील लोक सूचना अधिकार अधिनियम संख्या 63/2024 संतोख सिंह बनाम उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर में अपीलार्थी द्वारा प्रकरण संख्या 118/2016 अनवान रविन्द्र कुमार बनाम भूरों आदि में पत्रावली की ऑर्डरशीट, नोटशीट, निर्णय, डिक्री, आदि सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही है।

श्रीमानजी उक्त प्रकरण में दिनांक 13.06.2017 को निर्णय हो चुका है व मूल पत्रावली जिला अभिलेखागार में दिनांक 21.05.2018 को जमा करवा दी गई है। प्रार्थी अपनी सूचना जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से प्राप्त कर सकता है।

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है, **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी से किसी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" की परिभाषा विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान

Signature Not Verified
Digitally Signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:49:09 IST
Reason: self attested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

किया जा सकता है। सूचना **के रूप में** कोई सुझाव **देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की** कोई गुंजाईश **नही है।** इसलिए **उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर** द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी अपनी वांछित सूचना हेतु जिला अभिलेखागार, श्रीगंगानगर से नियमानुसार सूचना प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:49:09 IST
Reason: SelfAttested